

ए.पी. द्विवेदी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल-462004
क्रमांक एफ-7/60/4144/2002/10/6/1436
दिनांक 5-4-2004

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
मध्यप्रदेश
समस्त वन मंडलाधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय:-जलाऊ लकड़ी में सूखत की कमी का प्रतिशत निर्धारण बाबत् ।

संदर्भ:-म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-9/12/90/10/3 दिनांक 25-3-2003

संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में शासन निर्णय अनुसार वर्ष 1999 तक के जलाऊ लकड़ी के प्रकरणों में सूखत के कारण कमी के संबंध में कार्यवाही बाबत् आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर निम्नानुसार स्थितियों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था:-

1- शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 25-3-2003 के अनुसार पुनर्गणना करने पर यदि हानि नहीं निकलती है, तो क्या शासन के पूर्व आदेश दिनांक 11-6-1990 के अनुसार पुनर्गणना करने पर यदि हानि नहीं निकलती है, तो क्या शासन के पूर्व आदेश दिनांक 11-6-1990 के अनुसार परिगणित हानि की अवशेष वसूली (पूर्ण/आंशिक) की जावे अथवा नहीं?

2- उपरोक्त कंडिका 1 के प्रकरणों में शासन आदेश दिनांक 25-3-2003 के अनुसार हानि की राशि नहीं होने अथवा शासन के पूर्व आदेश दिनांक 11-6-1990 के अनुसार परिगणित एवं वसूल की गई हानि की राशि से कम होने की स्थिति में क्या शासन आदेश दिनांक 11-6-1990 के अनुसार पूर्व में वसूल की गई हानि की राशि वापसी योग्य होगी?

3- उपरोक्त भ्रांतियों के निराकरण हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

(अ) शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-3-2003 के परिपेक्ष्य में पुनर्गणना किये जाने पर यदि कोई हानि नहीं निकलती है, तो ऐसे प्रकरणों में शासन आदेश दिनांक 11-6-1990 के अनुसार पूर्व की गणना के आधार पर परिगणित हानि की अवशेष वसूली (आंशिक/पूर्ण) नहीं की जाए /

(ब) जिन प्रकरणों में शासन आदेश दिनांक 11-6-1990 के आधार पर गणना की जाकर हानि की जो राशि (पूर्ण/आंशिक) वसूली हो चुकी है, उसे वापस नहीं किया जायेगा ।

(स) कंडिका 3 (अ) के अन्तर्गत जो राशि की वसूली (आंशिक/पूर्ण) समाप्त की गई है, इसकी जानकारी इस कार्यालय को दी जावे, ताकि शासन को समय समय पर अवगत कराया जा सके ।

4- कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करें ।

हस्ता.
प्रधान मुख्य वन
संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर म0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-9/12/90/10/3 दिनांक 25-3-2003 सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।